न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 107 / 2023(पुरानी–02 / 2020) GCMS No.-45/2023
प्रविष्टि दिनांकः– 17.11.2023(पुरानी–09.07.2020)
निर्णय दिनांक :– 20.08.2024

::–उनवान–::

1. रामलाल पुत्र लक्ष्मण, जाति जाट, निवासी रीण्डलिया रामपुरा, तहसील टोडारायसिंह, जिला केकड़ी राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश पुत्र पौखर
2. प्रधान पुत्र पौखर (फौत)

2/1 रोहित पुत्र स्व0 प्रधान
2/2 कृष्णा पुत्री स्व0 प्रधान
2/3 टीना पुत्री स्व0 प्रधान

नाबालिगान जरिये कुदरती वली एवं प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति धम्मा पत्नी स्व0 प्रधान जाति मीणा निवासी रिण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

2/4 धम्मा पत्नी स्व0 प्रधान

3. प्रहलाद पुत्र पौखर (फौत)

3/1 जीतराम पुत्र स्व0 प्रहलाद
3/2 सायरी पत्नी स्व0 प्रहलाद

तमाम जाति मीणा निवासी रिण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

4. बदरी पुत्र पौखर
5. मनराज पुत्र पौखर
6. रतन पुत्र पौखर
7. श्योजी पुत्र पौखर

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

8. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान।

–रेस्पोडेण्ट

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

उपस्थित :

1. श्री राकेश गंगवाल श्री रामदेव सेन, अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. अनुपस्थित-रेस्पोडेण्ट

::-**निर्णय**-:: दिनांक 20.08.2024

1. प्रार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र अ० नियम 14(4) राज0 भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम,1970 विरूद्ध आवंटन आदेश बहक पौखर पुत्र माधो जाति मीणा दिनांक 25.10.1977 ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह केम्प पन्द्राहेड़ा पेश किया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है-भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.10.1977 को प्रतिपक्षीगण के पिता पौखर पुत्र माधो मीणा को ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह में आराजी ख0 नं0 555/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन कराने का आदेश पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया ही छल-कपट व मिथ्या सत्यापन/घोषणा के आधार पर होने के कारण उसको निरस्त किया जाना आवश्यक/न्यायोचित है।

आराजी ख0न0 555/2 मे आवंटन की गयी भूमि कभी भी काश्त योग्य भूमि नहीं रही बल्कि यह शुरू से नाकाबिल काश्त भूमि है, इस पर कभी भी आवंटी ने काबिज रहकर काश्त नही की परन्तु यह भूमि आवंटन योग्य या रिक्त भूमि न होते हुये भी आवंटी पौखर पुत्र माधो को छोटी पट्टी के रूप मे आवंटन करने का आदेश पारित कर दिया इस आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

वक्त आवंटन पौखर पुत्र माधो के पास खातेदारी में काफी भूमियाँ थी जो कि उक्त भूमि के आवंटन के लिये किसी प्रकार पात्रता नही रखता था परन्तु इस भूमि को उसकी भूमि के समीप होना मानकर छोटी पट्टी के रूप मे आवंटन कर दिया जबकि छोटी पट्टी के आवंटन से सम्बन्धित नियमों की पालना आज्ञापक है, उसके अन्तर्गत आस-पास के सभी काश्तकारान से आवेदन आमंत्रित करके उच्चतम बोली लगाने वाले काश्तकार के हक में आवंटन की जा सकती है परन्तु आवंटन समिति द्वारा किसी प्रकार नियमों की पालना नही की, भूमि की कोई सूची तैयार नही की, सार्वजनिक उदघोषणा भी जारी नही की इस कारण आवंटन आदेश गलत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं था। उसने इस महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर आवंटन आदेश प्राप्त किया है, ख0नं0 559 जो उसकी खातेदारी का था उसके समीप ख0नं0 555 मे आवंटन हुआ था जो रास्ते के समीप स्थित था, ख0नं0 559 का नया खसरा नम्बर 730 है उसकी भूमि ख0नं0 730 के अडवा बैठती है, परन्तु ख0नं0 442/1162 के रूप मे, उसके पास नक्शा तरमीम दर्शादी गयी है जबकि ख0नं0 442/1162 से उसका कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है जिससे यह आवंटन चलने योग्य नहीं है निरस्त किये जाने योग्य है ।

आराजी ख0न0 442/1162 प्रार्थी की खातेदारी का हिस्सा है यह पूर्व मे ख0नं0 448 मे रकबा 17 बिस्वा प्रार्थी को आवंटन किया हुआ रकबा है। इसका कब्जा ख0नं0 442/1162 के स्थान पर ही कब्जा दिया

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

गया था तथा सुपुर्दगीनामा भी उसी स्थान का दिया गया था परन्तु भू—प्रबन्ध वालो ने प्रार्थी की खातेदारी की ख0नं0 442 / 1162 की भूमि पर आवंटी की भूमि की तरमीम कर दी जबकि उसका वहां कोई लेना—देना ही नहीं है।

ख०नं० 442 / 1162 मे से वर्षो से बरसात के पानी की निकासी होती है तथा कुछ जमीन को प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है, ख०न० 555 / 2 को बदलकर —ख0नं0 442 / 1162 किया गया लेकिन उसकी अर्थात आवंटी की वहां कोई भूमि नही है तथा उसका वहां इस भूमि पर कब्जा—काश्त नही रहा, उक्त भूमि छोटी पट्टी की परिधि मे नही आती है तथा आवंटी द्वारा आवंटन के शर्तो की पालना भी नहीं की गयी है, ख0नं0 442 / 1162 का पुराना ख0नं0 448 था जोकि कृषि योग्य भूमि थी जबकि पौखर को आवंटी भूमि अकृषि भूमि थी जोकि नाकाबिल काश्त थी परन्तु प्रार्थी की जमीन को अवैध तरीका अपनाकर आवंटी को दे दी तथा कागजात मे गलत रूप से अकंन कर दिया और प्रार्थी को गलत रूप से गैर मु0 रास्ते की भूमि दे दी गयी इस प्रकार आवंटन पौखर पुत्र माधो के हक मे हाल ख0न0 442 / 1162 रकबा 0.23 है० ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जो वर्तमान मे उसके वारिसान प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज है वह त्रुटिपूर्ण है तथा गैर कानूनी रूप से करवाये गये व प्राप्त किये गये आवंटन के आधार पर दर्ज की गयी है जबकि यह भूमि प्रार्थी के अधिकार—आधिपत्य की तथा आवंटन शुदा भूमि है इस कारण पौखर के हक मे किया गया आवंटन गलत है ओर चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर पौखर पुत्र माधो जाति मीणा निवासी रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह के हक मे दिनाक 25.10.1977 को आराजी ख०न० 555 / 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र **न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली **स्थानान्तरित होकर** प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव सेन व श्री राकेश गंगवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। दिनांक 14.08.2024 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

3. हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी।

4. अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा. दिनांक 25.10.1977 को प्रतिपक्षीगण के पिता पौखर पुत्र माधो मीणा को ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह में आराजी ख0 नं0 555 / 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन कराने का आदेश पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया ही छल—कपट व मिथ्या सत्यापन / घोषणा के आधार पर होने के कारण उसको निरस्त किया जाना आवश्यक / न्यायोचित है।

बहस में आगे निवेदन किया कि आराजी ख0न0 555 / 2 मे आवंटन की गयी भूमि कभी भी काश्त योग्य भूमि नहीं रही बल्कि यह शुरू से नाकाबिल काश्त भूमि है, इस पर कभी भी आवंटी ने काबिज रहकर काश्त नही की परन्तु यह भूमि आवंटन योग्य या रिक्त भूमि न होते हुये भी आवंटी पौखर पुत्र माधो को

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

गया था तथा सुपुर्दगीनामा भी उसी स्थान का दिया गया था परन्तु भू–प्रबन्ध वालो ने प्रार्थी की खातेदारी की ख0नं0 442 / 1162 की भूमि पर आवंटी की भूमि की तरमीम कर दी जबकि उसका वहां कोई लेना–देना ही नहीं है।

ख०नं० 442 / 1162 मे से वर्षों से बरसात के पानी की निकासी होती है तथा कुछ जमीन को प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है, ख०न० 555 / 2 को बदलकर –ख0नं0 442 / 1162 किया गया लेकिन उसकी अर्थात आवंटी की वहां कोई भूमि नही है तथा उसका वहां इस भूमि पर कब्जा–काश्त नही रहा, उक्त भूमि छोटी पट्टी की परिधि मे नही आती है तथा आवंटी द्वारा आवंटन के शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है, ख0नं0 442 / 1162 का पुराना ख0नं0 448 था जोकि कृषि योग्य भूमि थी जबकि पौखर को आवंटी भूमि अकृषि भूमि थी जोकि नाकाबिल काश्त थी परन्तु प्रार्थी की जमीन को अवैध तरीका अपनाकर आवंटी को दे दी तथा कागजात मे गलत रूप से अकंन कर दिया और प्रार्थी को गलत रूप से गैर मु0 रास्ते की भूमि दे दी गयी इस प्रकार आवंटन पौखर पुत्र माधो के हक मे हाल ख0न0 442 / 1162 रकबा 0.23 है० ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जो वर्तमान मे उसके वारिसान प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज है वह त्रुटिपूर्ण है तथा गैर कानूनी रूप से करवाये गये व प्राप्त किये गये आवंटन के आधार पर दर्ज की गयी है जबकि यह भूमि प्रार्थी के अधिकार–आधिपत्य की तथा आवंटन शुदा भूमि है इस कारण पौखर के हक मे किया गया आवंटन गलत है ओर चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर पौखर पुत्र माधो जाति मीणा निवासी रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह के हक मे दिनाक 25.10.1977 को आराजी ख०न० 555 / 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

2. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र **न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक** के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली **स्थानान्तरित होकर** प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव सेन व श्री राकेश गंगवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। दिनांक 14.08.2024 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

3. हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी।

4. अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा. दिनांक 25.10.1977 को प्रतिपक्षीगण के पिता पौखर पुत्र माधो मीणा को ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह में आराजी ख0 नं0 555 / 2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवंटन कराने का आदेश पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया ही छल–कपट व मिथ्या सत्यापन / घोषणा के आधार पर होने के कारण उसको निरस्त किया जाना आवश्यक / न्यायोचित है।

बहस में आगे निवेदन किया कि आराजी ख0न0 555 / 2 मे आवंटन की गयी भूमि कभी भी काश्त योग्य भूमि नहीं रही बल्कि यह शुरू से नाकाबिल काश्त भूमि है, इस पर कभी भी आवंटी ने काबिज रहकर काश्त नही की परन्तु यह भूमि आवंटन योग्य या रिक्त भूमि न होते हुये भी आवंटी पौखर पुत्र माधो को

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

छोटी पट्टी के रूप मे आवंटन करने का आदेश पारित कर दिया इस आवंटन को निरस्त फरमाया जावें। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार भूमि मौके पर पड़त है तथा आवंटी का कब्जा भी नही है।

बहस में आगे निवेदन किया कि वक्त आवंटन पौखर पुत्र माधो के पास खातेदारी में काफी भूमियाँ थी जो कि उक्त भूमि के आवंटन के लिये किसी प्रकार पात्रता नही रखता था परन्तु इस भूमि को उसकी भूमि के समीप होना मानकर छोटी पट्टी के रूप मे आवंटन कर दिया जबकि छोटी पट्टी के आवंटन से सम्बन्धित नियमों की पालना आज्ञापक है, उसके अन्तर्गत आस–पास के सभी काश्तकारान से आवेदन आमंत्रित करके उच्चतम बोली लगाने वाले काश्तकार के हक में आवंटन की जा सकती है परन्तु आवंटन समिति द्वारा किसी प्रकार नियमों की पालना नही की, भूमि की कोई सूची तैयार नही की, सार्वजनिक उदघोषणा भी जारी नही की इस कारण आवंटन आदेश गलत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस में आगे निवेदन किया कि वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं था। उसने इस महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर आवंटन आदेश प्राप्त किया है, ख0नं0 559 जो उसकी खातेदारी का था उसके समीप ख0नं0 555 मे आवंटन हुआ था जो रास्ते के समीप स्थित था, ख0नं0 559 का नया खसरा नम्बर 730 है उसकी भूमि ख0नं0 730 के अडवा बैठती है, परन्तु ख0नं0 442/1162 के रूप मे, उसके पास नक्शा तरमीम दर्शादी गयी है जबकि ख0नं0 442/1162 से उसका कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है जिससे यह आवंटन चलने योग्य नहीं है निरस्त किये जाने योग्य है ।

आराजी ख0न0 442/1162 प्रार्थी की खातेदारी का हिस्सा है यह पूर्व मे ख0नं0 448 मे रकबा 17 बिस्वा प्रार्थी को आवंटन किया हुआ रकबा है। इसका कब्जा ख0नं0 442/1162 के स्थान पर ही कब्जा दिया गया था तथा सुपुर्दगीनामा भी उसी स्थान का दिया गया था परन्तु भू–प्रबन्ध वालो ने प्रार्थी की खातेदारी की ख0नं0 442/1162 की भूमि पर आवंटी की भूमि की तरमीम कर दी जबकि उसका वहां कोई लेना–देना ही नहीं है।

ख०नं० 442/1162 मे से वर्षों से बरसात के पानी की निकासी होती है तथा कुछ जमीन को प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है, ख०न० 555/2 को बदलकर –ख0नं0 442/1162 किया गया लेकिन उसकी अर्थात आवंटी की वहां कोई भूमि नही है तथा उसका वहां इस भूमि पर कब्जा–काश्त नही रहा, उक्त भूमि छोटी पट्टी की परिधि मे नही आती है तथा आवंटी द्वारा आवंटन के शर्तों की पालना भी नहीं की गयी है, ख0नं0 442/1162 का पुराना ख0नं0 448 था जोकि कृषि योग्य भूमि थी जबकि पौखर को आवंटी भूमि अकृषि भूमि थी जोकि नाकाबिल काश्त थी परन्तु प्रार्थी की जमीन को अवैध तरीका अपनाकर आवंटी को दे दी तथा कागजात मे गलत रूप से अकंन कर दिया औंर प्रार्थी को गलत रूप से गैर मु0 रास्ते की भूमि दे दी गयी इस प्रकार आवंटन पौखर पुत्र माधो के हक मे हाल ख0न0 442/1162 रकबा 0.23 है० ग्राम रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जो वर्तमान मे उसके वारिसान प्रतिपक्षीगण के नाम दर्ज है वह त्रुटिपूर्ण है तथा गैर कानूनी रूप से करवाये गये व प्राप्त किये गये आवंटन के आधार पर दर्ज की गयी है जबकि यह भूमि प्रार्थी के अधिकार–आधिपत्य की तथा आवंटन शुदा भूमि है इस कारण पौखर के हक मे किया गया आवंटन गलत है ओर चलने योग्य नहीं है।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर पौखर पुत्र माधो जाति मीणा निवासी रीण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह के हक मे दिनाक 25.10.1977 को आराजी ख०न० 555/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

6. *पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।*

आवंटन पत्रावली अनुसार पोखर पुत्र माधु जाति मीणा निवासी रिण्डल्या रामपुरा तहसील टोडारायसिंह को दिनांक 25.10.1977 को ख0नं0 555/2 रकबा 1–06 बीघा हाल ख0 नं0 442/1162 रकबा 0.23 है0 भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया।

आवंटन पत्रावली में अंकित पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी पोखर पुत्र माधु जाति मीणा के ग्राम रिण्डलिया रामपुरा में 33 बीघा से अधिक खातेदारी भूमि होना प्रकट आया है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट एवं मिलान क्षेत्रफल अनुसार आवंटी की खातेदारी भूमि ख0नं0 559 रकबा 18 बिस्वा हाल ख0 नं0 730 रकबा 0.25 के सहारे लगवा ख0नं0 555/2 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा हाल ख0 नं0 442/1162 रकबा 0.23 है0 स्थित होना बताकर आवंटी पोखर पुत्र माधु को आवंटन किया गया।

आवंटन नियम 1970 के नियम 19 – "आसामियों के खेतो के साथ लगी हुयी अनाधिवासित भूमि को छोटी पट्टियों अथवा खण्डों का आवंटन– के अन्तर्गत किसी खातेदार आसामी के खेत के साथ लगी हुई भूमि की छोटी पटटी या खण्ड का ऐसे आसामी द्वारा आवेदन किए जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से खातेदारी आधार पर उसे आवंटित किया जा सकेगा।

छोटी पट्टी अथवा खण्ड जो एक से अधिक खातेदार आसामियों के खेतों के साथ लगी हुई हो, ऐसे पार्टी या खण्ड के आवंटन के लिए, ऐसे आसामियों में से एक के द्वारा आवेदन करने पर, भूमि को नीलाम किया जा सकेगा और ऐसी नीलामी की बोली, साथ लगे खेतों के ऐसे खातेदार आसामियों तक ही सीमित रहेगी जिनके भूखण्डों की उचित अनुवृद्धि के फलस्वरूप के आकार में अधिक संहत या कम्पैक्ट हो सके और ऐसी छोटी पटटी या भूखण्ड, उपबन्धों के अध्यधीन उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा।

ऐसे आसामियों द्वारा पूर्व धारित भूमि एवं ऐसी आवेदित भूमि की छोटो पट्टी या खण्ड के क्षेत्रफल को मिलाकर ऐसे काश्तकार के लिए लागू निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल, से अधिक नहीं होगा।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, केकड़ी(राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश धाकड(आर.ए.एस.)
मु.नं. –107/2023
अपील प्रार्थना पत्र अ० नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम,1970
उनवान– रामलाल बनाम कैलाश व अन्य

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.10.1977 को ग्राम रिण्डलिया रामपुरा के ख0नं0 555/2 रकबा 1–06 बीघा हाल ख0 नं0 442/1162 रकबा 0.23 है0 पोखर पुत्र माधु जाति मीणा को किया गया भूमि आवंटन आदेश को खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार टोडारायसिंह ग्राम रिण्डलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह के साबिक ख0नं0 555/2 रकबा 1–06 बीघा हाल ख0 नं0 442/1162 रकबा 0.23 है0 आराजी को राजहित में लिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश धाकड़)
(पीठासीन अधिकारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी